:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 10/24

1. श्रीमती मणी पत्नि कला जाति मीणा।
2. श्री लक्ष्मण पिता कला जाति मीणा निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. बेनी पिता कला जाति मीणा
2. रामा पिता कला जाति मीणा
3. शंकर पिता कला जाति मीणा
4. सतरा पिता कला जाति मीणा
5. सुरता पिता कला जाति मीणा निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
6. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

:: निर्णय :: दिनांक 22/04/2021

प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सगे भाई–बहन व माता होकर गांव डूंगरसारण तहसील चिखली के स्थायी निवासी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने संयुक्त कब्जे काश्त भूमि पर कृषि कार्य करने अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 1029, खसरा नम्बर 38 खेत किता 1 कुल रकबा 1.6180 है0 होकर स्थित है। जिस पर संयुक्त रूप से काबिज है।

यह कि वादीगण का वास्तविक नाम मणी व लक्ष्मण होने के बावजुद भी उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में कॉलम संख्या 2 में अंकित वादीगण का नाम मली व लखमण गलत रूप से अंकित कर दिया गया है। जबकि वादीगण के समस्त राजकीय दस्तावेजात में उसका नाम मणी व लक्ष्मण ही है तथा वादीगण मणी व लक्ष्मण के नाम से ही जाना पहचाना जाता है।

यह कि जरीये इन्द्राज दुरूस्ति राजस्व रिकॉर्ड आराजी नम्बर जिसका वर्णन वाद के कॉलम संख्या 2 में किया है दर्ज नाम मली व लखमण को हटाया जाकर उसकी जगह वास्तविक नाम मणी व लक्ष्मण दर्ज किया जाने आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरीये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से एडवोकेट श्री श्रीकांत जैन द्वारा वादी के पक्ष में सहमति पत्र दिया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2,4 व 5 बाद तामिल अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 12.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार चिखली का जवाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर आवेदक का नाम अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम के आधार पर दुरस्त किये जाने का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि–

–:आदेशः–

ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 1029, खसरा नम्बर 38 खेत किता 1 कुल रकबा 1.6180 है0 में इन्द्राज दुरस्ती कर मली व लखमण को हटाया जाकर उसकी जगह वास्तविक नाम मणी व लक्ष्मण दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

आज दिनांक 12/07/2024 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(राकेश कुमार न्योल)

उपखण्ड अधिकारी

चिखली डूंगरपुर